उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग8 -
संख्या - 259014/2024/01(120)/XXVII(8)/2024, CTR-04
देहरादून दिनांकः: 06 दिसम्बर 2024

अधिसूचना

चूँकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है ;

अतएव, अब, राज्यपाल,उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 06) की धारा 9 की उपधारा (3) और उपधारा (4), धारा 11 की उपधारा (1), धारा 15 की उपधारा (5) और धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, उत्तराखण्ड शासन, वित्त अनुभाग8- की अधिसूचना संख्या 530/201120)9/7)/XXVII(8)/2017 दिनांक 29 जून, 2017 में निम्नलिखित अग्रेत्तर संशोधन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, अर्थात्:-

उकत अधिसूचना में, तालिका में,-
(क) क्रम संख्या 9घ और तत्संबंधी प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्याएं और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"9ङ	अध्याय 99	इन माध्यमों से रेल मंत्रालय (भारतीय रेल) द्वारा व्यक्तियों को दी जा रही सेवाएं- 7. प्लेटफॉर्म टिकटों की बिक्री; 8. रिटायरिंग रूम/प्रतीक्षालयों की सुविधा; 9. अमानती घर सेवाएं; 10. बैटरी चालित कार सेवाएं	शून्य	शून्य
9च	अध्याय 99	रेल मंत्रालय (भारतीय रेल) के अंतर्गत किसी क्षेत्र/ प्रभाग द्वारा रेल मंत्रालय (भारतीय रेल) के अधीन किसी अन्य क्षेत्र (क्षेत्रों)/प्रभाग(प्रभागों) को दी जाने वाली सेवाएं।	शून्य	शून्य
9छ	अध्याय 99	विशेष प्रयोजन माध्यमों (एसपीवी) द्वारा रेल मंत्रालय (भारतीय रेल) को रियायती अवधि के दौरान उनके द्वारा निर्मित और स्वामित्व वाले बुनियादी ढांचे का प्रतिफल के विरुद्ध उपयोग करने की सेवाएं और रेल मंत्रालय (भारतीय रेल) द्वारा एसपीवी निर्मित और स्वामित्व वाले उक्त बुनियादी ढांचे के संबंध में रियायती अवधि के दौरान प्रतिफल के विरुद्ध आपूर्ति की जाने वाली रखरखाव की सेवाएं।	शून्य	शून्य

(ख) क्रम संख्या 12 में,

(i) कॉलम (2) में, शब्दों और आंकड़ों "शीर्षक 9963 या" का लोप किया जाएगा;
(ii) कॉलम (3) में, स्पष्टीकरण को स्पष्टीकरण 1 के रूप में अंकित किया जाएगा और स्पष्टीकरण 1 जो इस प्रकार अंकित किया गया है, के पश्चात निम्नलिखित स्पष्टीकरण को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"स्पष्टीकरण 2.-इस प्रविष्टि में अंतर्विष्ट कोई बात निम्नलिखित पर लागू नहीं होगी-

(क) विद्यार्थी आवासों में विद्यार्थियों के लिए आवासीय सेवाएं;
(ख) छात्रावास, शिविर, पेइंग गेस्ट आवासों और इसी प्रकार के अन्य आवासों द्वारा दी जा रही आवासीय सेवाएं।";
(ग) क्रम संख्या 12 और तत्संबंधी प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां

8690
10/12/24
अनुभाग
आवश्यक कार्यवाही करें।
आयुक्त राज्य कर
उत्तराखण्ड।

अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"12क	शीर्षक 9963	आवासीय सेवाओं की आपूर्ति जिसमें आपूर्ति का मूल्य प्रति व्यक्ति प्रति माह बीस हजार रुपए या उससे कम हो, बशर्ते की यह आवासीय सेवा कम से कम 90 दिनों की अवधि के लिए दी गई हो ।	शून्य	शून्य"।

2. यह अधिसूचना 15 जुलाई, 2024 से प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

Signed by
Anand Bardhan
Date: 05-12-2024 17:43:53
(आनन्द बर्द्धन)
अपर मुख्य सचिव।

सं0 259014 / 2024 / 01(120) / XXVII(8) / 2024 / CTR-04, तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–आयुक्त राज्य कर, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि वे अपने स्तर से सम्बन्धित अधिकारियों, कर अधिवक्ताओं व करदाताओं को अवगत करा दें।

2–निदेशक, मुद्रण एंव लेखन सामग्री उत्तराखण्ड, रूड़की जिला हरिद्वार को अधिसूचना की हिन्दी / अंग्रेजी प्रतियॉ इस आशय से प्रेषित कि इसे असाधारण गजट में प्रकाशित करते हुये 100–100 प्रतियॉ वित्त अनुभाग–8 में अविलम्ब उपलब्ध करा दें।

3–विधायी एवं संसदीय कार्य अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।

4–अपर सचिव, वित्त–8, उत्तराखण्ड शासन।

5–एन0आई0सी0।

6–गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से,

Signed by
Bharat Bhushan Mathpal
Date: 06-12-2024 10:47:22

(बी0बी0 मठपाल)
अपर सचिव

In pursuance of the provision of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No. 259014 / 2024/ XXVII (8)/ dated 06 December , 2024 for general information.

Government of Uttarakhand
Finance Section-8
No. 259014 /2024/01(120)/ XXVII(8)/2024, CTR-04
Dehradun :: Dated 06 December, 2024

Notification

WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

Now, THEREFORE, In exercise of the powers conferred by sub-section (3) and sub-section (4) of section 9, sub-section (1) of section 11, sub-section (5) of section 15 and section 148 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (06 of 2017), the Governor, on the recommendations of the Council, is pleased to allow to make the following amendment further to amend the notification of the Government of Uttarakhand, Finance Section-8, No. 530/2017/9(120)/XXVII(8)/2017 dated the 29th June, 2017, namely:—

In the said notification, in the Table, -

(A) after serial number 9D and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"9E	Chapter 99	Services provided by Ministry of Railways (Indian Railways) to individuals by way of – a. sale of platform tickets; b. facility of retiring rooms/waiting rooms; c. cloak room services; d. battery operated car services.	Nil	Nil
9F	Chapter 99	Services provided by one zone/division under Ministry of Railways (Indian Railways) to another zone(s)/division(s) under Ministry of Railways (Indian Railways).	Nil	Nil
9G	Chapter 99	Services provided by Special Purpose Vehicles (SPVs) to Ministry of Railways (Indian Railways) by way of allowing Ministry of Railways (Indian Railways) to use the infrastructure built and owned by them during the concession	Nil	Nil";

		period against consideration and services of maintenance supplied by Ministry of Railways (Indian Railways) to SPVs in relation to the said infrastructure built and owned by the SPVs during the concession period against consideration.		

(B) in serial number 12, -

(i) in column (2), the words and figures "Heading 9963 or" shall be omitted;

(ii) in column (3), the Explanation shall be numbered as Explanation 1 thereof, and after Explanation 1 so re-numbered, the following Explanation shall be inserted, namely: -

"Explanation 2.- Nothing contained in this entry shall apply to-

a. accommodation services for students in student residences;
b. accommodation services provided by Hostels, Camps, Paying Guest accommodations and the like.";

(C) after serial number 12 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"12A	Heading 9963	Supply of accommodation services having value of supply less than or equal to twenty thousand rupees per person per month provided that the accommodation service is supplied for a minimum continuous period of ninety days.	Nil	Nil".

2. This notification shall be deemed to have come into force with effect from the 15th day of July, 2024.

Signed by
Anand Bardhan
Date: 05-12-2024 17:45:11
(Anand Bardhan)
Additional Chief Secretary.